

आदेश

कार्यवाही विवरण

12-8-23 को आवली पेश हुई। वकील वादी/प्राथी उपस्थित नहीं।
न्यायालय का समय पूर्ण होने तक बार-बार प्रकरज लगाई
गई। बार-बार आवाज लगाने के बाद भी वादी/प्राथी
उपस्थित नहीं। अतः प्रकरण को इली को अदम लाजरी
अदम पैरवी में खरिज किया जाता है। प्रकरज के कुल शुमार
होकर नम्बर से कम हो व दाखील दफ्तर हो।

उपस्थित अधिकारी
सदरमुसवी